

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 19 (1)साप्र/2/12

जयपुर, दिनांक : 23.1.2012


-: आदेश :-

श्री भवानी शंकर शर्मा पुत्र श्री रामधन शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर उनकी एच श्रेणी की वरियता संख्या 7/99 व सेवा निवृत्ति दिनांक 31.10.2046 के आधार पर नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास संख्या एच-659, गाँधीनगर जयपुर निम्न शर्तों पर एतद्वारा आवंटित किया जाता है :-

शर्त :-


1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने / कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटि के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटि अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटि को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।
- 9 उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

आज्ञा से,


(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, जयपुर।
3. वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त सप्तम, वाणिज्यिक कर विभाग, विभाग।
4. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
6. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गाँधीनगर, जयपुर।
7. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर।
8. संबंधित कर्मचारी।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
10. रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव

R.F.No. 2446
30-1-2012

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 20(1)साप्र/2/11 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 23.1.2012

:- आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी एफ श्रेणी की पात्रता/वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित एफ स्वतंत्र राजकीय आवास पूर्व शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृति तिथि	वरियता संख्या
1	श्री रामकरण मीणा वरिष्ठ लिपिक क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निकाय विभाग जयपुर	एफ- 42 गॉधीनगर (4/139 गॉधीनगर के स्थान पर)	30.6.2027	237
2	श्री सरफराज अहमद खान वरिष्ठ लिपिक संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर	एफ-95 गॉधीनगर (4/66 गॉधीनगर के स्थान पर)	31.12.2025	238
3	श्रीमती लीला कुमारी ए. एन. एम. राजकीय चिकित्सालय, आदर्शनगर, जयपुर	एफ-181 गॉधीनगर (4/159 पुराना नं. एफ-972 गॉधीनगर के स्थान पर)	31.3.2027	239
4	श्री राघवेन्द्र पारीक निजी सहायक कार्यालय राज्यमंत्री कारागार शासन सचिवालय, जयपुर	एफ- 193 गॉधीनगर (4/18 गॉधीनगर के स्थान पर)	31.10.2033	240

आज्ञा से,

Eo

(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, जयपुर।
3. उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. प्रभारी अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, आदर्शनगर, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग।
6. मुख्यलेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालयख जयपुर।
7. कोषाधिकारी, जयपुर शहर जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
9. अधिशाषी आगियन्ता, सा0 नि0 विभाग/जन स्वा0 अभि0 विभाग/जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 गॉधीनगर,, जयपुर।
10. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर।
11. सम्बन्धित कर्मचारीगणों को भेजकर लेख है कि पूर्व में आवंटित आवास 15 दिवस में रिक्त करने का श्रम करें अन्यथा प्रथम माह दुगुना तदुपरान्त तीन गुणा किराया वसूलनीय होगा।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

RR No. 2447
30-1-2012

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 20(1)साप्र/2/12

जयपुर, दिनांक : 23.1.2012

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी एफ श्रेणी की वरियता के आधार पर इस विभाग के आदेश सं. प. 20 (1) साप्र /2/11 पार्ट दिनांक 20.12.11के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित एफ स्वतंत्र श्रेणी आवास का कब्जा निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं लेने से आवांटेन आदेश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है :-

क.सं.	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृत्ति तिथि	वरियता संख्या
1	श्री सुरेश दुर्गानी सहायक अनुभागाधिकारी प्रशासनिक सुधार (आरटीआई) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	एफ-193 गॉधीनगर (एफ-411 गॉधीनगर के स्थान पर)	31.7.2019	2002
2	श्री रामावतार सोनी वाहन चालक साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग जयपुर	एफ-42 गॉधीनगर (4/41 गॉधीनगर के स्थान पर)	31.1.2025	195
3	श्री जुगलकिशोर सोनी कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी मुख्य अभियन्ता (आई.डी. एण्ड आर.), जल संसाधन युनिट, जयपुर	एफ-95 गॉधीनगर (4/20 गॉधीनगर के स्थान पर	31.8.2031	234
4	श्री सुभाष चंद कंसारा कनिष्ठ लिपिक कृषि विभाग, जयपुर	एफ-181 गॉधीनगर (4/ 117 गॉधीनगर के स्थान पर	30.11.2033	235
5	श्रीमती रीना जार्ज नर्स ग्रेड-II सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	एफ-200 गॉधीनगर (4/ 76 गॉधीनगर के स्थान पर	30.9.2036	236

आज्ञा से,

३०

(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- जिला कलक्टर, जयपुर। 2. निदेशक, सम्पदा/साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग, जयपुर।
- आयुक्त, कृषि विभाग, जयपुर।
- मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
- शासन उप सचिव, कार्मिक (स्व-1) विभाग।
- अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
- मुख्यलेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
- कोषाधिकारी, जयपुर शहर जयपुर।
- प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
- अधिशोषी अग्नियन्ता, सा0 नि0 विभाग/जन स्वा0 अभि0 विभाग/जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 गॉधीनगर,, जयपुर।
- सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर।
- सम्बन्धित कर्मचारीगणों को भेजकर लेख है कि पूर्व में आवांटेन आवास 15 दिवस में रिक्त करने का श्रम करें अन्यथा प्रथम माह दुगुना तदुपरान्त तीन गुणा फिराया दसगुना किया होगा।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
- रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव